भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 51
उत्तर देने की तारीख: 14.09.2020

निजी विश्वविद्यालय

51. श्री राजवीर दिलेरः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का लॉक-डाउन अवधि के दौरान अप्रैल से आज की तिथि तक निजी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों से ली जा रही फीस पर रोक लगाने का विचार है;
(ख) क्या सरकार का निजी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश देने का विचार है कि निजी विश्वविद्यालय उन सुविधाओं के लिए शुल्क नहीं लें जो छात्रों को प्रदान नहीं की जा रही हैं;
(ग) क्या निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रावास फीस वापस कराने या समायोजित कराने का सरकार का विचार है;
(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल निशंक)

(क) से (ड.): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को परामर्श जारी किया है जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि कोविड-19 महामारी की वजह से असामान्य मुश्किल परिस्थितियों को देखते हुए वे वार्षिक/ सत्र शुल्क, ट्यूशन शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि के भुगतान के संबंध में मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकते हैं और यदि व्यवहार्य हो, तो हालात सामान्य होने तक छात्रों को वैकल्पिक भुगतान का विकल्प प्रदान करने पर विचार कर सकते है। इसके अतिरिक्त, यह भी परामर्श दिया गया था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो विश्वविद्यालय और कॉलेज, मौजूदा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर छात्रों से अलग-अलग अनुरोध, यदि प्राप्त होते हैं, पर भी विवेकपूर्ण ढंग से विचार कर सकते हैं।

****